



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1934 (श0)
(सं0 पटना 504) पटना, सोमवार, 24 सितम्बर 2012

विधि विभाग

अधिसूचना

7 सितम्बर 2012

सं0 सी0एल0ए0/6717/जे0—विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या-39) के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 के नियम-10 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रोहतास, सासाराम के समिति का पुर्नगठन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

(क)	जिला एवं सत्र न्यायाधीश-	अध्यक्ष
(ख)	जिला दण्डाधिकारी-	उपाध्यक्ष
(ग)	आरक्षी अधीक्षक-	सदस्य
(घ)	जिला सरकारी वकील-	सदस्य
(ङ)	जिला लोक अभियोजक-	सदस्य
(च)	जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष-	सदस्य
(छ)	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के	

परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित

- एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो कमजोर वर्ग के उत्थान में लगा हो- **श्री सरदार मानिक सिंह** सदस्य
- (ज) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित जिला अधिवक्ता संघ के अनु0जाति/जनजाति का एक सदस्य **श्री धरम देव राम** सदस्य
- (झ) उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, जो अवर न्यायाधीश की पंक्ति के नीचे का न हो कि नियुक्ति राज्य प्राधिकार द्वारा की जायेगी- सचिव
2. प्राधिकार समिति का कार्यकाल दो वर्षों की होगी।
3. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 504-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>